

21/5
२५

पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर।
पत्रावली में पूर्व में भी वकील वादी
को अंतिम विदायत की गई थी
कि आगामी पेशी पर तामिल की
रशीदें पेश करें, अन्यथा आदेश
७ नियम ५ के तहत आदेश पारित
किया जाएगा लेकिन वकील वादी ने
आज दिनांक तक तामिल की रशीदें
पेश की ज़रूरी नहीं की। अतः
वादी का वाद आदेश ७ नियम ५

के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली
फसल कुमार होकर नम्बर से कम होकर
बाखिल दफतर ले Bannod -

उपस्यण्ड अधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)